



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
"विधि प्रकोष्ठ वर्ग"
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Phone & Fax:- 0135-2531742, 2530431

E-Mail-eicpwduk@nic.in

Website-http://pwd.uk.gov.in

पत्र सं०- 45 /49 वि०प्र०/2018

दिनांक 09 /01/2019

सेवा में,


समस्त मुख्य अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
.....।

विषय:- रिट पिटिशन संख्या-295 (एस) (सिविल)/12 एस० राजशेखरन बनाम भारत संघ के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक संख्या 2971/49वि०प्र०/18 दिनांक 05.01.2019

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड सहस्त्रधारा रोड़, कुल्हान, देहरादून के पत्र संख्या-5332/प्रवर्तन/स०सु०/01-08(3)/2018 दिनांक 24.12.2018 द्वारा मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णय दिनांक 06.12.2018 एवं अवर सचिव भारत संघ, सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन-1, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 18.12.18 की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित की गयी थी कि मा० न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयानुसार लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित सूचना एक दिन के भीतर इस कार्यालय को अवगत करायें। परन्तु आपके द्वारा आतिथि तक भी उक्त सूचना से इस कार्यालय को अवगत नहीं कराया गया है।

अतः इस संबंध में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि विषयक सूचना तत्काल मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सेतु (ग०क्षे०) लोक निर्माण विभाग देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


(आ०सी०पुराहित)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सेतु(ग०क्षे०) लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विषयक सूचना क्षेत्रीय स्तर से प्राप्त होने के उपरान्त सूचना संकलित कर वांछित सूचना अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, सहस्त्रधारा रोड़, कुल्हान देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित ।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष